सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 40 / 2016 अपील
पंजीयन दिनांक– 26–04–2016
निर्णय दिनांक – 15–02–2018

1. श्री नन्दलाल पिता डालू जी गुर्जर निवासी मोही तहसील राजसमंद जिला राजससमंद (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लालू पिता धन्ना जी गुर्जर , निवासी पाण्डोलाई,
2. श्री पेमा पिता धन्ना जी गुर्जर , निवासी पाण्डोलाई,
3. श्री कैलाश पिता शंकर जी गुर्जर निवासी पाण्डोलाई, तहसील राजसमंद जिला राजसमंद (राज.)
4. श्रीमती हंजा बेवा शंकर जी गुर्जर निवासी पाण्डोलाई, तहसील राजसमंद जिला राजसमंद (राज.)
5. राजस्थानस राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमंद।

–रेस्पोंडेन्ट्

उपस्थित–

1– श्री कमलेश चौहान – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री पी.सी.पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4.

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड़ अधिकारी, राजसमंद दिनांक 18.08.2015 प्र.सं. 149 / 2014 रे. वाद.

निर्णय

दिनांक 15.02.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत उपखण्ड़ अधिकारी, राजसमंद के निर्णय दिनांक 18.08.2015 प्र.सं. 149 / 2014 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्रम पाण्डोलाई के खाता संख्या 76 की जमाबंदी संवत 2069–72 की प्रति, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति मय नक्शा ट्रेस की प्रति, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति रेस्पों. संख्या 1 से 4 द्वारा अधिनस्थ न्यायायल में पेश कर निवेदन किया कि रेस्पों. के पूर्वाधिकारी स्व. धन्ना पिता मोती जी गुर्जर निवासी पाण्डोलाई को आराजी नम्बर 51 में से 10 बिस्वा, आराजी संख्या 52 में से 1 बीघा भूमि दिनांक 14.02.1976 को मौके पर आकर उक्त जमीन सिपूद्र की गई पर्चा मौका बनाकर मौतबिरान के हस्ताक्षर कराये गये तब से रेस्पों. के पूर्वाधिकारी उक्त जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। धन्नाजी की मृत्यृ के बाद रेस्पों. उक्त आराजीयात पर उपयोग उपभोग कर रहे है। आवंटन के समय जिस भूमि का कब्जा सिपूर्द किया गया उसका नक्शा भी पेमुद किया गया और उसी अनुसार नक्शे में दिनांक 23.07.2014 को रेस्पों. इस भूमि का विभाजन करने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पता चला कि उक्त भूमि का नक्शे मं पेमुद नहीं होना जाहिर आया। रेस्पों. द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर. एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय में आराजी नं. 51 व 52 में से आवंटित भूमि का नक्शे में पेमुदगी बाबत पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी राजसमंद द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्रम पाण्डोलाई तहसील राजसमंद के आराजी नं. 51/1 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 52/1 रकबवा 1 बीघा भूमि को पुराने नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिनांक 18.08.2015 पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित। वकील रेस्पों. की एक तरफा बहस दिनांक 05.02.2018 को सुनी गई। वकील अपीलान्ट को निर्णय से पूर्व लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया। वकील अपीलान्ट ने दिनांक 09.02.2018 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने लिखित बहस में बताया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने एवं पीड़ित पक्षकार होने से यह अपील धारा 96 एवं मयाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकर किये जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का कथन किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है कि आराजी नंम्बर 297/52 अपीलान्ट की आराजी भूमि है और अपीलान्ट की आराजी भूमि पर रेस्पों. की आराजी भूमि को नक्शे में पैमुदगी का आदेश पूर्णतया गलत व विधि विरुद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व न तो मौके और न रिकार्ड की जांच की है और न ही कोई साक्ष्य ही ली गई केवल संभावनाओं के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। मूल आराजी 52 के दक्षिण में रेस्पों. की आराजी नम्बर 52/1 को नक्शे में पैमुदगी करने के आदेश दिये गये है जबकि उक्त स्थान पर अपीलान्ट की आराजी नम्बर 297/52 स्थित है जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है। रेस्पों. द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार ही नहीं बनायागया जबकि रेस्पों. को यह पूर्ण रुप से जानकारी थी कि जिस भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है वह भूमि अपीलान्ट की होकर अपीलान्ट के खातेदारी हक अधिकार की होकर अपीलान्ट काबिज है और राजस्व नक्शे में भी अपीलान्ट के नाम पर इन्द्राज किया हुआ है फिर भी रेस्पों. द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को अन्धेरे में रख कर प्रार्थना पत्र पेश कर निर्णय करा लिया जो अपीलान्ट के हक व हितों के विपरीत है। अन्त में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के विपरित होकर अवैध व क्षैत्राधिकार से परे होकर उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने और ऐसे अवैध व शून्य आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इसलिए मयाद को कण्डोन कर अपील अपीलान्ट गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पों. ने बहस में बताया कि मुंख्य तर्क यह है कि अपीलान्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय की नकल लेने का आवेदन दिनांक 17.10.2015 को प्रस्तुत किया गया एवं नकल दिनांक 02.11.2015 को प्राप्त कर ली गई। और अपील दिनांक 20.04.2016 को प्रस्तुत की है, जिस तरह यह अपील नकल लेने के लगभग 4 माह बाद प्रस्तुत की गई है। जो मयाद बाहर है इस मयाद बाहर अपील को अन्दर मयाद शुमार करने हेतु अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया वह भी गलत होकर न्यायालय को धोखा देने की नियत से प्रस्तुत करने से अपील मयाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2007 पेज 438 (ए.सी.), 2011 (2) आर.आर.टी. पेज 851 एवं आर.आर.डी.1970 पेज 420 प्रस्तुत किये।

धारा 96 के आवेदन पर वकील रेस्पों. का मुख्य तर्क है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। और अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से वह किसी प्रकार से पिड़ित नहीं है। जिससे अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान कराया जाना उचित नहीं होकर अपील अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने से अपील निरस्त फरमाई जावे। पुष्टि में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2017 पेज 706 प्रस्तुत किया गया है। आगे यह निवेदन किया कि रेस्पों. की भूमि दौराने भू–प्रबन्ध नक्शे में कमी रकबा होने की वजह से अधिनस्थ न्यायालय में धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार के विरुद्ध पेश किया। जिसके जवाब में यह प्रकट किया गया कि अपीलान्ट को आवंटित भूमि का तरमीम नक्शा आदेशानुसार तैयार कराया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय में विपक्षी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का भारी विरोध नहीं होने की वजह से एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत उचित एवं युक्त्युक्त आदेश प्रदान किया गया है जिसे बहाल रखाया जाकर अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट द्वारा धारा–96 एवं धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया। अपील में प्रस्तुत धारा–96 एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित समझते है।

वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट की वर्तमान आ.नं. 297/52 पर नक्शे में पैमुदगी बाबत आदेश जारी किया गया है एवं अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य, बिना जांच के निर्णय पारित किया जाना एवं पुराने नक्शे के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने के आदेश दिये है जो विधि के विपरित होना बताया गया। जबकि अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट के आ. नं. 297/52 पर नक्शे में पैमुदगी के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये हों। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व ग्रम पाण्डोलाई तहसील राजसमंद के आराजी नं. 51/1 रकबा 10 बिस्वा एवं आराजी नं. 52/1 रकबा 1 बीघा भूमि को पुराने नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2015 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2015 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर